

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर
पत्रांक-3382/14-1, रामपुर दि 02 फरवरी, 2021।

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,

मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद।

विषय-

जनपद रामपुर की तहसील-विलासपुर, ग्राम-विलासपुर खास के खसरा/गाटा सं०-386 विलासपुर-मिलक रोड मार्ग किमी० चैनेज- 0.609 की बॉयी पटरी पर मैसर्स भारत पेट्रोलियम कॉ० लि० बरेली द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल पम्प) के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.04278 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं एक वृक्ष के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव सं०-एफ०पी०/यू०पी०/एप्रोच/48988/2020

महोदय,

जनपद रामपुर की तहसील-विलासपुर, ग्राम-विलासपुर खास के खसरा/गाटा सं०-386 विलासपुर-मिलक रोड मार्ग किमी० चैनेज- 0.609 की बॉयी पटरी पर मैसर्स भारत पेट्रोलियम कॉ० लि० बरेली द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल पम्प) के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.04278 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं एक वृक्ष के पातन की अनुमति की आवश्यकता है।

वन संरक्षण अधिनियम-1980 यथा संशोधित-1988 की धारा-02 के अन्तर्गत 0.04278 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष के पातन की अनुमति के भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की 04 प्रतियाँ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। इस परियोजना से सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर के अन्तर्गत किसी प्रकार वन एवं वन्य जीवों के हित प्रभावित नहीं होंगे। कृपया उपरोक्तानुसार प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को भेजने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय



(राजीव कुमार)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।

पत्रांक-338714-1

प्रतिलिपि-वरिष्ठ प्रबन्धक, भारत पेट्रोलियम कॉ० लि०, बरेली को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(राजीव कुमार)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।